न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

करण संख्या : **596/2018**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

.....वादी

बनाम

बलवीर सिह पुत्र बन्ता सिह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
गुरनाम सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
बलतेज सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
जोरा सिंह पुत्र संता सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
गुरजंट सिंह पुत्र संता सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
बिकर सिंह पुत्र संता सिह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
प्रकाश कौर पत्नि हरनेक सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
दारा सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
जरनैल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
0.मनजीत कौर पुत्री हरनेक सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
1.जसपाल कौर पुत्री हरनेक सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
2.सरजीत कौर पत्नि गुलजार सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
3.नसीब कौर पत्नि मल सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
4.मलकीत सिंह पुत्र मल सिहजाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
5.बलजीत सिंह पुत्र मलसिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
6.सुखपाल कौर पत्नि सरजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
7.जगसीर सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
8.सरदूल सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
9.कुलविन्द्र कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
0.बलविन्द्र कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति रामगढिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर
1.मनजीत कौर पत्नि देवेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर

........प्रतिवादीगण

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय--

दिनांक : 15/1/2019

1. संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार राज तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि चक 1 एक्स की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सं0 123/117 के मुरबा नं. 61 मे 1.240 हैक. मु.नं.86 मे 2.695 हैक. मु.नं.117/40 में 0.077 हैक. खाला मु.नं. 177/66 मे 0.076 हैक. खाला कुल 4.188 हैक. नहरी भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है।
2. इस जमावन्दी में खाता सं.123/117 का कुल योग 4.188 हैक. अंकित है,जबकि इस खाता के समस्त खातेदारान/प्रतिवादीगण के नाम के आगे अंकित रकबा का कुल योग 5.466 हैक. बनता है। इस चक की जमावन्दी सम्वत् 2055 ता 58 में खातेदारान बलवीर सिंह-मलसिंह पिसरान बन्ता सिंह के नाम 61-1/2 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी। नवीन जमाबंदी सम्वत् 2059 ता 62 मे बलवीर सिंह-मल सिंह पिसरान बन्ता सिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। मल सिंह की मृत्यु के पश्चात जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 481 मलसिंह के वारिसान के नाम नसीब कौर पत्नि मलसिह 0.175 हैक.,मलकीत सिंह 0.174 हैक. बलजीत सिंह 0.175 हैक.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पुत्रीयां मलसिंह, सुखपाल कौर पत्नि सरजीत सिंह, जगसीर सिंह-सरदुल सिंह पिसरान सरजीत सिंह, बलविन्द्र कौर-कुलविन्द्र कौर पुत्रियां सरजीत सिंह 1.047 हैक. जमाबन्दी में रकबा दर्ज किया गया है, जबकि उक्त विरासतन इन्तकाल संख्या 481 के जरिये मल सिंह के हिस्सा का 0.389 हैक. रकबा उसके 6 वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर व बलवीर सिंह के नाम 0.389 हैक. रकबा उसके 6 वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर व बलवीर सिंह के नाम 0.389 हैक. रकबा दर्ज होना चाहिये था।

3. इस रकबा में से जरिये दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 495 नसीब कौर 0.175 हैक., मलकीत सिंह 0.290 हैक., बलजीत सिंह 0.292 हैक., सुखपाल कौर पत्नि सरजीत सिंह 0.151 हैक.,जगसीर सिंह-सरदुल सिंह-बलविन्द्र कौर- कुलविन्द्र कौर पिसरान सरजीत सिंह बहिस्सा बराबर 0.139 हैक., बलवीर सिंह 1.047 हैक. रकबा जमाबन्दी में दर्ज किया गया।

4. इसके बाद जरिये इन्तकाल संख्या 677 नसीब कौर 0.126 हैक., मलकीत सिंह 0.253 हैक., बलजीत सिह 0.253 हैक्टर, कुल 0.632 हैक्टर रकबा मनजीत कौर पत्नी देवेन्द्र सिह जाति जटसिख को बेचान किया गया। शेष खाता बदस्तूर रखा गया।

5. वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072 ता 74 के खाता संख्या 123 मे बलवीर सिह पुत्र बन्ता सिह 1.047 हैक्टर, नसीब कौर पत्नी मल सिह 0.049 हैक्टर, मलकीत सिह 0.037 हैक्टर, बलजीत सिह 0.039 हैक्टर पिसरान मल सिह, सुखपाल कौर पत्नी सरजीत सिह 0.151 हैक्टर, जगसीर सिह, सरदूल सिह, कुलविन्द्र कौर, बलविन्द्र कौर पिसरान सरजीत सिह 0.039 हैक्टर बहिस्सा बराबर, मनजीत कौर पत्नी देवेन्द्र सिह 0.632 हैक्टर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जबकि वास्तव मे जमाबंदी सम्वत 2055 ता 58 के अनुसार बलवीर सिह का हिस्सा 1.047 हैक्टर के स्थान पर 0.389 हैक्टर एवं मल सिह के वारिसो के हिस्से मे 1.047 के स्थान पर 0.389 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिये।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है । प्रार्थना पत्र त्रुटि का ज्ञान होते ही अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 123/117 मे प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिह पुत्र बन्ता सिह के नाम दर्ज रकबा 1.047 के स्थान पर 0.389 हैक्टर एवं प्रतिवादी सख्या 16 सुखपाल कौर के नाम दर्ज 0.151 हैक्टर रकबा के स्थान पर 0.060 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 17 से 20 के नाम दर्ज 0.139 हैक्टर के स्थान पर 0.048 हैक्टर रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने के बाद एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 6 के फौत हो जाने के कारण उनके वारिसान परमजीत सिह व गुरदेव कौर उपस्थित आया एवं प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी। प्रतिवादी संख्या 12 सरजीत कौर के द्वारा स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी।

पैरोकार राज तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 123/117 मे प्रतिवादी बलवीर सिह पुत्र बन्ता सिह के नाम 1.047 हैक्टर के स्थान पर 0.389 हैक्टर किया जाना है। प्रतिवादी बलवीर सिह फौत हो चुका है। वसीयत इन्तकाल 941 के द्वारा इनके वारिसान काला सिह, साधू सिह,अजमेर सिह, अंग्रेज सिह पिसरान बलवीर सिह, जगजीत सिह पुत्र सुखदेव सिह,बहिस्सा बराबर 0.389 हैक्टर रकबा दुरूस्त किया जाना उचित है। मल सिह पुत्र बन्ता सिह 1.047 हैक्टर के स्थान पर 0.389 हैक्टर रकबा दर्ज किया जाना है। मल सिह की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल संख्या 481 व दस्तबरादारी इन्तकाल संख्या 495 के अनुसार नसीब कौर 0.175 हैक्टर के स्थान पर 0.065 हैक्टर मलकीत सिह 0.290

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

हैक्टर के स्थान पर 0.108 हैक्टर, बलजीत सिह 0.292 हैक्टर के स्थान पर 0.108 हैक्टर, सुखपाल कौर पत्नी सुरजीत सिह 0.151 हैक्टर के स्थान पर 0.056 हैक्टर, जगसीर सिह, सरदूल सिह, बलविन्द्र कौर, कुलविन्द्र कौर पिसरान सरजीत सिह बहिस्सा बराबर 0.139 हैक्टर के स्थान पर 0.052 हैक्टर रकबा के हकदार थे जिसके आधार पर नसीब कौर 0.065 हैक्टर, मलकीत सिह 0.108 हैक्टर, बलजीत सिह 0.108 हैक्टर कुल रकबा 0.285 हैक्टर का बेचान करने के हकदार थे परन्तु बैयनामा इन्तकाल संख्या 677 का नसीब कौर ने 0.126 हैक्टर, मलकीत सिह ने 0.253 हैक्टर, बलजीत सिह ने 0.253 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर रकबा बेचान कर दिया जो कि यह कुल रकबा 0.632 हैक्टर बेचान करने के अधिकारी नही थे। इस आधार पर नसीब कौर,मलकीत सिह, बलजीत सिह को कलमजन किया जाना मनजीत कौर पत्नी देवेन्द्र सिह का हिस्सा 0.281 हैक्टर, सुखपाल कौर पत्नी सरजीत सिह 0.056 हैक्टर, जगसीर सिह, सरदूल सिह, बलविन्द्र कौर,कुलविन्द्र कौर पिसरान सरजीत सिह 0.052 हैक्टर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पैरोकार राज को सुना गया। बाद सुनाई प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर सिह के फौत होने के कारण उसके वारिसान काला सिह, जगजीत सिह, अमरीक सिह, जगतार सिह, कलवन्त कौर उपस्थित आये और प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी।

प्रार्थना पत्र के संबंध मे पैरोकार राज के द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट पत्रावली मे पेश की। पैरोकार राज को सुना गया। पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि यह रिकार्ड की दुरूस्ती है जिसे राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत सही किया जाना उचित है। प्रकरण मे उपस्थित आये पक्षकारो के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त अशुद्धिया रिकार्ड से संबंधित है जिसे सही किया जाना उचित है। इस संबंध मे पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उक्तानुसार शुद्धि किया जाना उचित अंकित किया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलव्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. चक 1 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 58 मे खातेदार बलवीर सिह, मल सिह, पिसरान बन्ता सिह के नाम 60-1/2 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी। आगामी जमाबंदी सम्वत 2059 ता 62 मे बलवीर सिह, मल सिह पिसरान बन्ता सिह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार बलवीर सिह के नाम 1.047 हैक्टर रकबा दर्ज हो गया जबकि बलवीर सिह के नाम 0.389 हैक्टर रकबा दर्ज होना चाहिये था। बलवीर सिह की मृत्यु के बाद वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 123 मे यह रकबा वसीयत इन्तकाल 941 के द्वारा उनके वारिसान काला सिह, साधू सिह, अजमेर सिह,अग्रेज सिह पिसरान बलवीर सिह, जगजीत सिह पुत्र सुखदेव सिह बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है। इस रकबे को सही कर 0.389 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 मे बलवीर सिह के वारिसान काला सिह, साधू सिह, अजमेर सिह,अग्रेज सिह पिसरान बलवीर सिह, जगजीत सिह पुत्र सुखदेव सिह बहिस्सा बराबर 0.389 हैक्टर रकबा रहेगा।
2. चक 1 एक्स की जमाबंदी सम्वत 2055 ता 58 मे खातेदार बलवीर सिह, मल सिह, पिसरान बन्ता सिह के नाम 60-1/2 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी। आगामी जमाबंदी सम्वत 2059 ता 62 मे बलवीर सिह, मल सिह पिसरान बन्ता सिह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार मल सिह पुत्र बन्ता सिह के नाम 1.047 हैक्टर रकबा दर्ज कर दिया गया जो मल सिह की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 481 से एवं दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 495 से दर्ज हुये रकबे को नसीब कौर 0.175 हैक्टर के स्थान पर 0.065

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

हैक्टर, मलकीत सिह 0.290 हैक्टर के स्थान पर 0.108 हैक्टर, बलजीत सिह 0.292 हैक्टर के स्थान पर 0.108 हैक्टर, सुखपाल कौर पत्नी सुरजीत सिह 0.151 हैक्टर के स्थान पर 0.056 हैक्टर, जगसीर सिह, सरदूल सिह, बलविन्द्र कौर, कुलविन्द्र कौर पिसरान सरजीत सिह बहिस्सा बराबर 0.139 हैक्टर के स्थान पर 0.052 हैक्टर रकबा के हकदार थे जिसके आधार पर नसीब कौर 0.065 हैक्टर, मलकीत सिह 0.108 हैक्टर, बलजीत सिह 0.108 हैक्टर कुल रकबा 0.285 हैक्टर का बेचान करने के हकदार थे परन्तु बैयनामा इन्तकाल संख्या 677 का नसीब कौर ने 0.126 हैक्टर, मलकीत सिह ने 0.253 हैक्टर, बलजीत सिह ने 0.253 हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर रकबा बेचान कर दिया। उक्त तीनो खातेदारों के नाम नसीबकौर 0.175 हैक., मलकीत सिंह 0.290 हैक.,बलजीत सिंह 0.292 हैक. के नाम कुल भुमि 0.757 दर्ज थी। जबकि नसीबकौर के नाम 0.065 हैक., मलकीत सिंह के नाम 0.108 हैक.,बलजीत सिंह के नाम 0.108 हैक. कुल 0.281 भुमि दर्ज होनी चाहिए थी। इन तीनो पक्षकारो को कुल 0.281 हैक्टर भूमि ही बेचान करने का हक था। इन्होने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है। ऐसा बैयनामा जो हिस्से से अधिक किया गया है वह प्रारम्भतया ही शून्य है ओर उसी हद तक (0.281 हैक्टर तक), जिसे करने का अधिकार विक्रेता को था ही वह वैध है। शेष हिस्से तक यह बैयनामा प्रारम्भतया शून्य है। अतः मनजीत कौर पत्नी देवेन्द्र सिह के नाम दर्ज 0.632 हैक्टर के स्थान पर 0.281 हैक्टर रकबा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

इस आधार पर वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 123 मे अंकित नसीब कौर पत्नी मल सिह 0.049 हैक्टर, मलकीत सिह पुत्र मल सिह 0.037 हैक्टर, बलजीत सिह पुत्र मल सिह 0.039 हैक्टर कुल 0.125 हैक्टर रकबा को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुखपाल कौर पत्नी सरजीत सिह के नाम दर्ज 0.151 हैक्टर के स्थान पर 0.056 हैक्टर, जगसीर सिह, सरदूल सिह पिसरान सरजीत सिह, कुलविन्द्र कौर, बलविन्द्र कौर पुत्रियां सरजीत सिह हर चार बहिस्सा बराबर 0.139 हैक्टर के स्थान पर 0.052 हैक्टर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/1/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner